

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 10.04.2024

20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 01 कि०ग्रा० यूरिया के साथ 01 नफर
अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण व ब्रिकी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर मय पुलिस टीम द्वारा दौराने चेकिंग अभियुक्त आकाश यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी एकला बाजार थाना गीडा जनपद गोरखपुर को 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 01 किलोग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 192/2024 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी एकला बाजार थाना गीडा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 192/2024 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 01 किलोग्राम यूरिया

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र०नि० जयन्त कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० चन्द्रभान सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का रोहित सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. का सतेन्द्र यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।